प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **29/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
किशनलाल मेघवाल पताः गांव करणपुर, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 13.01.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को भिजवाये गये प्रत्युतर एवं सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/29/25/211–12 दिनांक 21.01.2025 एवं समसंख्यक पत्रांक 312–13 दिनांक 25.03.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/39 दिनांक 21.03.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रासंगिक प्रथम अपील के जरिये प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली को खोजा गया। पत्रावली उपलब्ध नहीं हो पाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। पत्रावली प्राप्त हाने के पश्चात् सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पत्रावली नहीं मिलने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित पत्रावली की गहन खोज कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये। पत्रावली नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराये तथा पत्रावली संधारित करने से संबंधित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए 15 दिवस के भीतर न्यायालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-04-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर